न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर कैम्प उज्जैन

प्रकरण क्रं० । २०११ निगरानी R-1248-I/2011

:१: रामप्रसाद पिता घांसीराम आयु ५५ साल

:२: शांतिलाल पिता घांसीराम उम्र ५२ साल

जाति तैली निवासी ग्राम रणावदा तेह०बड़नग

जिला उज्जैन ---- आवेदकगण

विरुद्ध

:१: महेन्द्रकुमारी पति शम्भूसिंह आयु ६० साल

जाति राजपूत नि० करवड तेह० पेटलावद जिला

झाबुआ

:२: कमल किशोर पिता शम्भूसिंह आयु ४० वर्ष

जाति राजपूत नि० करवड तेह० पेटलावद

जिला झाबुआ ---- अनावेदकगण

वाद पुनरीक्षण आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा ५० मू०रा०सं०

न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन जिला उज्जैन के प्रक्र

क्रं० ४२०।०६-१० अपील मे पारित आदेश दिनांक

२६-६-२०११ से असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण आवेदन-पत्र निम्नलि

सविनय प्रस्तुत है ::-

:१: यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक २६-६- ११ विधी व विधान के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

:२: यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश मे अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई थी उसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत हुई थी, जिसे योग्य अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महो० ने अपील को क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वादग्रस्त आदेश तेहसील न्यायालय के आदेश को भी निरस्त कर दिया और पुन: पक्षकारो को अधिनस्थ

R 1248-2/2011 उर्मिला

20/4/18	आवेदक द्वारा श्री एम. एल. यादव अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा बताया गया कि वे प्रकरण आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अत: प्रकरण नहीं चलाना चाहते है, आवेदक अभिभाषक के अनुरोध पर प्रकरण समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	

[कृ. प. उ.